Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 2, February-2019, ISSN 2230-7540

बीसवीं सदी के अन्त में भारत-भूटान संबंध: एक अध्ययन

Sudhir Kumar*

M.A. in Political Science (UGC/NET)

सार – *भारत भूटान को एक स्वतंत्र देश के रूप में बनाये रखना चाहता है। भारत की पहल पर ही भूटान सन् 1971 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। सन् 1973 में वह निर्गुट आंदोलन में सम्मिलित हुआ। भूटान सार्क का भी सदस्य है और वह दक्षिणी एशिया में डाक सेवाओं में सहयोग संबंधी समिति का अध्यक्ष है। सन् 1977 में भारत भूटान के राजदूतावास का नयी दिल्ली में दर्जा बढ़ा दिया।*

----------X----------

भूमिका

भारत की प्रतिरक्षा में भूटान का अत्यधिक महत्त्व है। भारत की उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था में भूटान को बेदाग की संज्ञा दी जाती है। चुंबी घाटी से चीन की सीमा केवल 128 किलोमीटर है। यदि चीन विस्तारवादी इरादों से इस क्षेत्र में घुसपैठ करता है, तो वह न केवल भूटान को वरन् उत्तरी बंगाल, असम और अरूणाचल प्रदेश को भारत से काट सकता है। चीन ने भूटान, तिब्बत की वर्तमान प्राकृतिक सीमाओं को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत और भूटान के पारस्परिक संबंध मित्रतापूर्ण रहे हैं और उनमें कोई प्रमुख समस्या नहीं है।

भारत-भूटान संधि

अगस्त, 1949 में भूटान सरकार ने स्वतंत्र भारत की सरकार से एक नयी संधि की, जिसमें 'पुनरवा संधि' की अनेक धाराओं का उल्लेख किया गया। इसमें दोनों देशों ने चिरस्थायी शांति और मित्रता को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस संधि के अनुसार भूटान और भारत का संबंध पूर्ववत् बनाये रखने का निश्चय किया गया। भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। संधि के अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भूटान सरकार विदेशी मामलों में भारत सरकार के परामर्श को मार्गदर्शक के नाते मानने के लिए सहमत है। यह भी व्यवस्था की गयी कि भारत 5 लाख रूपये वार्षिक सहायता देगा। सिक्किम ने संधि के द्वारा उसका वैदेशिक संबंध और प्रतिरक्षा का भार भारत को सौंप दिया था। लेकिन भूटान ने इस संधि के द्वारा केवल विदेश नीति का भार ही भारत को सौंपा था। भारत-चीन युद्ध के बाद भूटान ने प्रतिरक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया।

पं जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्री काल में भारत और भूटान के संबंध बहुत मधुर रहे। भारत ने भूटान के आर्थिक विकास में सक्रिय रूचि ली और उसे आर्थिक सहायता दी। 30 करोड़ रूपये की लागत से भारतीय सीमा सड़क संगठन ने भूटान में 1,000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया। चीन भूटान के 480 वर्ग मिलोमीटर क्षेत्र पर दावा करता है, इस क्षेत्र में भी एक सड़क बनाई गयी। भूटानी युवक भारत में शिक्षा ग्रहण करने सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने लगे। भारत ने भूटान में हवाई पट्टियां भी बनायी जिन पर हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं। भारत के सहयोग से ही भूटान की नयी राजधानी लिम्पू का निर्माण किया गया। भूटान के दूसरे महत्त्वपूर्ण नगरो का भी विकास भारत के सहयोग से हुआ। भारत ने भूटान में विद्यालय तथा चिकित्सालयों का भी निर्माण कराया।

सन् 1978 में भूटान नरेश के भारत आगमन पर चैथी पंचवर्षीय योजना के लिए 79 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकार किया गया। यह योजना कुल 77 करोड़ रूपये की थी। इस अवसर पर भूटान नरेश वांगचुक ने कहा कि भूटान को भारत की मित्रता पर पूर्ण विश्वास है।

भारत-भूटान संबंध (1980-1996)

जून, 1981 में तत्कालीन विदेश मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव लिम्पू की सद्भावना यात्रा पर गये। भारत ने भूटान की पांचवीं

www.ignited.in

विकास योजना (1981-87) के लिए 139 करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव किया। भूटान को पारो से कलकत्ता तक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारम्भ करने की अनुमति दी गयी। असम, पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा निर्धारण के लिए खंभे लगाये गये और भारत ने भूटान में रहने वाले 1,500 तिब्बती शरणार्थियों को पालना स्वीकार कर लिया। भारत और भूटान के बीच 10 दिसंबर, 1983 को एक व्यापारिक समझौता हुआ, जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार सुनिश्चित किया जा सके जिसकी गारंटी सन् 1949 में संपन्नता भारत-भूटान शक्ति मैत्री संधि में दी गयी। सन् 1984 में भारत और भूटान के बीच दूरसंचार और माइक्रोवेव की व्यवस्था की गयी। भारत और भूटान के संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 29 सितंबर, 1985 से 1 अक्टूबर, 1985 तक भूटान की यात्रा की। इससे पूर्व फरवरी, 1985 में भूटान नरेश ने भारत की यात्रा की। भूटान नरेश जिग्में सिंधे वांगचुक ने सन् 1990 के वर्ष में जनवरी, फरवरी व नवंबर में तीन बार भारत की यात्रा की। आपसी हित के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श में विचारों की परम समानता और प्रगाढ़ता प्रकट हुई। नवंबर, 1990 में भूटान के नरेश की भारत यात्रा के समय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार भारत को क्रमशः 1,000 मेगावाट और 600 मेगावाट की टाला पनबिजली परियोजना और वांगचू जलाशय योजना के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निश्चय किया गया। भारत के वाणिज्य मंत्री की यात्रा के समय 2 मार्च, 1990 को लिम्पू में एक नये भारत-भूटान व्यापार और वाणिज्य समझौते (1990-95) पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के द्वारा मुक्त व्यापार जारी रखने की व्यवस्था की गयी और प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने तथा इसी प्रकार की दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था के अतिरिक्त इसमें भूटानी औरसरकारी व्यापारियों के लिए भी व्यापार की छूट दी गर्यी। योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रणव मुखर्जी दिसंबर, 1991 में भूटान गये और इससे पूर्व विस्तृत तकनीकी विचार-विमर्श के लिए विशेष सचिव, योजना आयोग के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भूटान गया। नरसिम्हा राव के प्रधानमन्त्री काल में भी भूटान को कृषि, सिंचाई, सड़क आदि की परियोजनाओं में पूर्व की भांति ही सहयोग दिया गया। भारत द्वारा भूटान में अनेक परियोजनाएं चलायी जा रही हैं जिसमें भरपूर सहायता भारत द्वारा दी गयी। चुक्ख हाईडिल परियोजना और पेनडेना सीमेंट संयत्र पूरे हो चुके थे। पेनडेना सीमेंट परियोजना को संपन्न कराने में भारत ने 1,275 करोड़ रूपये की सहायता दी। इसके अतिरिक्त भूटान के नये सचिवालय के निर्माण तथा ऐतिहासिक मठों व विहारों के जीर्णोद्वार के लिए भी आर्थिक सहायता दी गयी। पूर्ण रूप से भारत की सहायता से निर्मित 50 कि0वा0 के भूटान प्राकरण केन्द्र का मार्च, 1991 में उद्घाटन और जून, 1991 में 336 मे.वा. की चुक्ख जल परियोजना का जिनसे भूटान को आधे से अधिक आय प्राप्त होती, भूटान को सौंपना दोनों देशों के मध्य बढ़ते हुए आर्थिक और तकनीकी सहयोग का उदाहरण है।

भूटान के आर्थिक विकास में भारत विस्तार से सहायता प्रदान करता रहा है और उसके आर्थिक विकास तथा आधुनिक युग में ले जाने में पूर्ण सहयोग दिया हैं, परंतु भूटान भी समय-समय पर विदेशी कुचक्रों का शिकार होता रहा है और चीन तथा अन्य बड़ी शक्तियां कुछ न कुछ मतभेदों को उभारने का प्रयत्न करती रही हैं, परन्तु भारत सदैव मतभेदों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय वार्ताओं पर जोर देता रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने स्पष्ट शब्दों में भूटान के संबंधों के बारे में अपनी नीति घोषित कर दी थी कि भारत बड़े भाई और संरक्षक की ही भूमिका निभाता रहेगा तथा भारत के लोकतंत्रवादियों को यह भी भलीभांति समझना है कि भारत को कोई ऐसा कदम नही उठाना जो कि वहां के नरेश तथा जनता को घातक लगे, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच परस्परिक संबंधों में मनमुटाव हो। केवल नरेश और जनता के दृष्टिकोण को भलीभांति समझकर ही कोई प्रशासनिक कदम सुधार हेतु उठाया जाये। वाजपेयी के शासन काल में भी भारत ने इस देश के आर्थिक विकास में भरपूर सहायता दी। भविष्य में भी ऐसी सहायता विकास कार्यों में भारत से दी जाती रहेगी।

संदर्भ

1. नवभारत टाइम्स, दिल्ली, 14 नवंम्बर, 1996
2. स्वतंत्र भारत, लखनऊ
3. The Hindustan Times, Delhi, September, 1973
4. Times of India, Delhi, 1990
5. योजना, प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1995
6. Times of India, Delhi, November, 1997

Corresponding Author

Sudhir Kumar*

M.A. in Political Science (UGC/NET)

sudhirnain8@gmail.com